न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 08/2025 तारीख रजू :– 06.02.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी (आर.ए.एस.)

उनवान

1. ज्ञानसिह
2. तुलसीराम

पिता जौहरी जाति गुर्जर निवासी डुगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

सायल

बनाम

1. बनी
2. सुरज्ञान
3. हंसराम
4. मोतीराम

पिता सुबद्वी जाति गुर्जर निवासी डुगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– श्री हंसराम एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थी:– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः–09.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 3744 रकवा 0.14 है0 3720/5071 रकवा 0.02 है0 स्थित ग्राम डूगापुरा, तहसील टोडाभीम जिला करौली मे है। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 3744/1 रकवा 0.14 है0 के सम्पूर्ण हिस्से का सायल नम्बर 2 तुलसीराम खातेदार काश्तकार है। तथा भूमि खसरा नम्बर 3720/5071 रकवा 0.02 है0 में सायल नम्बर 1 सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 3744/1 9 3720/5071 में सायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार हुआ है, जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। उक्त भूमि से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। गैरसायलान ने एक गिरोह बना रखा है जो आये दिन गरीब व्यक्तियों की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

भूमि पर कब्ज करते रहते है। यदि गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है।

वाका दिनांक 01.01.2025 को सुबह करीब 10 बजे का है कि गैरसायलान अपने हाथों में लाठी, डण्डे लेकर आ अये और सायलान से कहा कि अब तुम इस भूमि पर आना जाना छोड दो। हम लट्ठ बल पर इस भूमि पर कब्जा करेंगें तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। सायालान ने गेरसायालान को काफी समझाया कि भाइयों तुम हमारे साथ ऐया अन्याय क्यों कर रहे हो परन्तु गैरसायलान नहीं माने इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी की सेवा में पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्रमाईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जिसकी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार दृव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबंद फरमाया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 3744/1 रकवा 0.14 है0 3720/5071 रकवा 0.02 है0 जो मौके पर अलग खेत बने हूऐ है में से सायलान को बेदखल नहीं करे। किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करें। सायलान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करें जिससे हकूक सायलान विपरित प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थीगणो की ओर से वकील उपस्थित हुये, बार–बार मौका देने के उपरांत भी जबाब नहीं दिया गया इसलिए अप्रार्थीगणों का जबाब बंद किया जाता है। वकील उभयपक्षकारान की सीधे ही बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**— प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम डूगापुरा के खसरा नम्बर 3744/1 रकवा 0.14 है0 एवं 3720/5071 रकवा 0.02 है0 सायलान की खातेदारी भूमि है इस संबंध में प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। मामला उभयपक्ष द्वारा जमीन की अदला—बदली को लेकर है जो साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**— पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः**— उपलब्ध अभिलेखों से भी यह प्रतीत नहीं होता है कि निषेधाज्ञा न देने से वादी को ऐसा अपूरणीय नुकसान क्या होगा जिसकी पूर्ति बाद में नहीं की जा सके। अतः न्यायालय की राय में वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक तीनों तथ्य, प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी—अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को एक/दूसरे पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली